आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Meghalaya Building and Other Construction Workers Welfare Board

Meghalaya BOCW Medical Assistance

मेघालय का निर्माण श्रमिक बोर्ड अपने पंजीकृत श्रमिकों को पैसे दे सकता है, जो पांच दिन या उससे ज़्यादा अस्पताल में भर्ती रहे हों, या दुर्घटना के बाद घर पर प्लास्टर में हों।

क्या मिल सकता है

अस्पताल में पहले 5 दिन के लिए 200 रुपये और उसके बाद हर दिन के लिए 20 रुपये, कम से कम 1000 रुपये। दुर्घटना के बाद घर पर प्लास्टर लगने पर भी यही सहायता दी जा सकती है। दुर्घटना से विकलांगता हो तो विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से 5000 रुपये तक की सहायता संभव है।

किसके लिए है

मेघालय भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जो अस्पताल में भर्ती हुए हों या घायल हुए हों।

मुख्य शर्तें

- श्रमिक दुर्घटना या किसी भी बीमारी के कारण पांच दिन या उससे ज़्यादा अस्पताल में भर्ती रहा हो, या दुर्घटना के बाद घर पर प्लास्टर में हो।
- श्रमिक बोर्ड का लाभार्थी होना चाहिए, और पिछले मासिक अंशदान की रसीद चाहिए।
- विकलांगता के दावे के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विकलांगता का चिकित्सा प्रमाणपत्र चाहिए।
- सहायता बोर्ड मंज़ूर कर सकता है, इसलिए हर मामला बोर्ड तय करता है।

दस्तावेज़

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का चिकित्सा प्रमाणपत्र
- भर्ती के दिनों के अस्पताल के चालान, रसीदें या बिल
- पिछले चुकाए मासिक अंशदान की रसीद

आवेदन कैसे करें

1. बोर्ड के योजना पृष्ठ से चिकित्सा लाभ का आवेदन, फ़ॉर्म संख्या XLIII, डाउनलोड करें।
2. अपना पंजीकरण नंबर, बीमारी या सर्जरी और अस्पताल में रहने का ब्योरा भरें और घोषणा पर हस्ताक्षर करें।
3. दस्तावेज़ लगाकर उन्हें बोर्ड के सचिव कार्यालय, लोअर लाचुमियर, शिलांग में भेजें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://megbocwwb.gov.in/schemes_medical
आधिकारिक PDF: https://megbocwwb.gov.in/forms/benefit/medicalbenefit.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-bocw-medical-assistance/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।